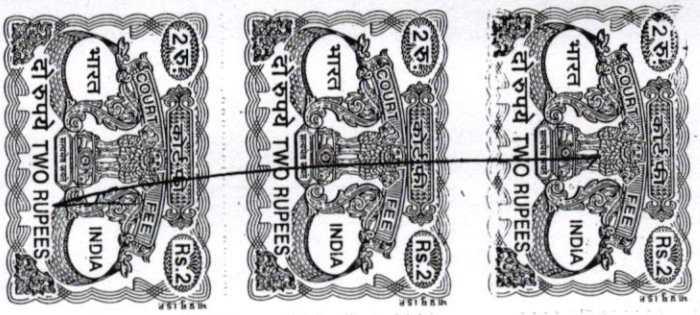

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला– शाजापुर

निगरानी–3323/2018/शाजापुर/भू.रा.

श्री ... 30.5.18 को द्वारा आज दि. प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14.6.18 नियत।
30.5.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

गंगाराम पुत्र श्री रामप्रसाद गुर्जर, निवासी – उमरोद (देवास) तहसील टप्पा सुंदरसी, जिला शाजापुर (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

राजपुरी पुत्र भैरूपुरी गौसाई, निवासी उमरोद (देवास) तहसील टप्पा सुंदरसी, जिला शाजापुर (म.प्र.)

– अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार, उप तहसील सुंदरसी, जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–70/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

30/5/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक राजपुरी द्वारा नायब तहसीलदार, उप–तहसील सुंदरसी के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 एवं धारा 250(3) इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे कमांक 953/1 रकवा 0.280 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 972/1 रकवा 0.230 हैक्टेयर, ग्राम उमरोद (देवास) तहसील सुंदरसी में उसके स्वामित्व की भूमि स्थित है, जिसका सीमांकन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2017 के पालन में दिनांक 13.12.2018 को ग्राम पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका नक्शा पंचनामा, फील्ड बुक, रसीद मय प्रतिवेदन रिपोर्ट दिनांक 30.12.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। जिसमें आवेदक गंगाराम पुत्र श्री रामप्रसाद अवैध अतिकमण सम्पूर्ण करवे में पर पाया गया है, जिसके कारण वह अपनी भूमि से वंचित हो रहा है, इसलिए अवैध अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया।
2. यहकि, अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर नायब तहसीलदार, उप तहसील सुंदरसी, जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–70/2017–18 पंजीबद्ध कर आवेदक को ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3323/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार सुंदरसी जिला शाजापुर के आदेश दिनांक 27.01.2018 के विरुद्ध दिनांक 30.05.2015 को विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में जो तर्क दिए गए हैं, वे मान्य योग्य नही हैं। संहिता की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	